म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,अरेरा हिल्स,किसान भवन,भोपाल

क्रमांक /बोर्ड/प्लानिंग/5730 भोपाल,दिनांक 24/08/21

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग..........................(समस्त)

विषयः–**मंडी/उपमण्डी प्रांगणो के अभिन्यास से संबंधित दिशा–निर्देशों एवं मानकों के परिपालन के संबंध में।**

मण्डी प्रांगण का अभिन्यास एवं सभी विकास कार्य मण्डी अधिनियम के अंतर्गत ही होना चाहिए। मण्डी प्रांगण का अभिन्यास तैयार करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।

1. मण्डी प्रांगण की भूमि पर मंडी समिति का विधिवत् आधिपत्य/स्वामित्व होना चाहिए। राज्य शासन द्वारा आवंटित भूमि की अधिसूचना एवं राजस्व विभाग का खसरा नक्शा अनिवार्यतः संलग्न होना चाहिए।
2. मण्डी प्रांगण के वर्तमान स्थल की स्थिति एवं निर्माण दर्शाते हुए कन्टूर सर्वे कराया जाना चाहिए जिसका रेखांक 5 अथवा 10 मी. के अंतर में हो। प्रांगण से होकर जाने वाली उच्च वोल्टेज लाईन (एच.टी.) विद्यमान नाले या अन्य जल स्त्रोत, रेल्वे लाइन, पहुँच मार्ग दर्शाया जाना आवश्यक है।
3. एच.टी. लाईन से एम.पी.ई.बी. के मानकों के अुनसार संरचनाओं से न्यूनतम उर्ध्व एवं पार्श्व दूरी छोड़ा जाना चाहिए।
4. समस्त मंडियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान आवश्यक रूप से रखा जाए।
5. मण्डी प्रांगण में दुकानों के सामने पदचारी (Pedestrian Way) न्यूनतम 3.00 रखा जाए।
6. मण्डी प्रांगण पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होना चाहिए। आंतरिक मार्गों की चौड़ाई 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए इसे मण्डी की श्रेणी के अनुसार आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जा सकता है।
7. मंडी परिसर में अधिकतम भूतल कवरेज 50 प्रतिशत एवं परिभ्रमण तथा शेष 50 प्रतिशत आंतरिक सड़कों, वाहन विराम स्थल (पार्किंग) एवं उद्यान/वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखा जावे।
8. मंडी प्रांगण के अभिन्यास में प्रस्तावित सभी संरचनाओं के आकार मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
9. मंडी प्रांगण के अभिन्यास में श्रेणी के अनुसार आवश्यक न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं को अनिवार्य रूप से समावेश किया जाना चाहिए, जो निम्नानुसार हैं:–

निरन्तर........(2)

क्र.	ए एवं बी क्लास	क्र.	सी एवं डी क्लास
1	चार दीवारी (बाउण्ड्रीवाल)	1	चार दीवारी (बाउण्ड्रीवाल)
2	पहुँच मार्ग	2	पहुँच मार्ग
3	कार्यालय भवन	3	कार्यालय भवन
4	नीलामी चबूतरा–ओपन	4	नीलामी चबूतरा
5	नीलामी चबूतरा –कवर्ड	5	सार्वजनिक शौचालय
6	सार्वजनिक शौचालय	6	ट्राली शेड
7	ट्राली शेड	7	छोटे आकार की दुकान (सैण्ड्री शॉप)
8	छोटे आकार की दुकान (सैण्ड्री शॉप)	8	अनाज भण्डार गोदाम
9	दुकान सह गोदाम	9	चेक पोस्ट
10	अनाज भण्डार गोदाम	10	केन्टीन
11	चेक पोस्ट	11	पीने के पानी की व्यवस्था
12	केन्टीन	12	विद्युत व्यवस्था (प्रकाश)
13	बैंक एवं पोस्ट ऑफिस	13	ड्रेनेज व्यवस्था
14	पीने के पानी की व्यवस्था	14	तौल कॉंटा (weigh bridge)
15	विद्युत व्यवस्था (प्रकाश)	15	आंतरिक सड़कें
16	ड्रेनेज व्यवस्था	16	पार्किंग
17	तौल कॉंटा (weigh bridge)		
18	कृषक विश्राम गृह		
19	आंतरिक सड़कें		
20	पार्किंग		

10.मण्डी प्रांगण के प्रस्तावित अभिन्यास को 1:500 या 1:1000 के मापांक में कम से कम ए–2 आकार के पेपर मे निर्मित किया जाना चाहिए जिसमें–

1. ले–आउट प्लान के इण्डेक्स में प्रस्तावित कार्य व वर्तमान उपस्थित कार्य पृथक–पृथक दर्शाए जाना चाहिए जिसके आकार व संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

2. ले–आउट प्लान मे प्रस्तावित (Proposed) संरचना को लाल रंग से, वर्तमान निर्मित (Existing) संरचना को हरे रंग से, एवं प्रगतिरत (Under Construction) निर्माण कार्य को पीले रंग से, दर्शाया जाकर इण्डेक्स मे भी उक्त कलर कोडिंग का पालन किया जाना आवश्यक है।

3. ले–आउट प्लान मे प्रांगण का ओरिएंटेशन (उत्तर दिशा) दर्शाया जाना चाहिए।

4. ले–आउट प्लान मे मण्डी प्रांगण की प्रस्तावित संरचनाओ का नियोजन इस प्रकार किया जावे की समउद्देशीय संरचनाए पृथक–पृथक ज़ोन मे निर्मित की जा सके। जैसे :– गोदामो का निर्माण स्थल का ज़ोन, दुकान निर्माण, ऑक्शन एरिया, आदि पृथक–पृथक ज़ोन मे होने से सभी मण्डी प्रागणों के स्वरूप मे समरूपता व विपणन व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे। तथा समउद्देशीय संरचनाओं के मध्य अनावश्यक दूरी न रहे।

5. ले–आउट प्लान मे मंडी प्रांगण का पहुँच मार्ग एवं आसपास विद्यमान संरचनाएँ अभिन्यास में अनिवार्यतः दर्शाई जानी चाहिए।

निरन्तर........(3)

6. ले–आउट प्लान में कंटूर रेखाएँ अनिवार्यतः दर्शाई जानी चाहिए।

7. अभिन्यास अनुमोदन के प्रकरण के साथ संलग्न मंडी समिति के प्रस्ताव में जिसमें प्रस्तावित संरचनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए एवं पूर्व अनुमोदित अभिन्यास की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए।

8. दिशा– निर्देश के संलग्न चेक–लिस्ट प्रारूप की पूर्ति कर प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर अभिन्यास मानचित्र कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा सहित 4 प्रतियों में भेजा जाना अनिवार्य है।

<u>(प्रबंध संचालक महोदया द्वारा निर्देशित)</u>

24.8.21
अधीक्षण यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / प्लानिंग / 5731-5732 भोपाल,दिनांक 24/08/2021

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0राज्य कषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....(समस्त) की ओर सूचनार्थ ।

2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति......................(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

24.8.21
अधीक्षण यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कृषि उपज मण्डी समितियों के अंतर्गत मुख्य मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों के नवीन/पुनरीक्षित अभिन्यास मानचित्र के अनुमोदन हेतु चेक लिस्टः–

1. कृषि उपज मण्डी समिति का नाम – ....
2. मण्डी/उपमण्डी प्रांगण का नाम एवं स्थिति – ....
3. मण्डी समिति का प्रस्ताव जिसमें सभी प्रस्तावित कार्यों का संख्या सहित उल्लेख हो, संलग्न है या नहीं ? ....
4. कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुमोदन के प्रयोजनार्थ प्रांगण के स्थल निरीक्षण का दिनांक– ....
5. प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त अभिलेख संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित है या नहीं ? ....
6. पूर्व में अनुमोदित हुए अभिन्यास मानचित्र का क्रमांक एवं दिनाँक– ....
7. नवीन प्रांगण के अभिन्यास मानचित्र के अनुमोदन हेतु संलग्न प्रस्ताव में –

(अ) शासन द्वारा प्रदाय भूमि की अधिसूचना की प्रति–..

(ब) राजस्व विभाग का खसरा नक्शा की प्रति– ....

(स) प्रांगण के कब्जा प्राप्त होने की रसीद– ....

(द) प्रांगण के कंटूर सर्वे की प्रति– ....

(ई) प्रांगण में पूर्व से उपस्थित संरचनायें, जलस्त्रोत, इलेक्ट्रिक लाईन, पेड़ इत्यादि दर्शाये गये हैं या नहीं ? ....

8. प्रांगण की भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद, अतिक्रमण या न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी– ....
9. प्रांगण के अभिन्यास मानचित्र में कार्यों को उनके नियत रंगों द्वारा दर्शाया गया है या नहीं ? ....
10. प्रांगण से गुजरने वाली किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक लाइनों को अभिन्यास में दर्शाया गया है या नहीं ? ....
11. मानचित्र में प्रांगण का पहुँच मार्ग, उत्तर दिशा, पैमाना, विद्यमान एवं प्रस्तावित कार्यो की संख्या व आकार दर्शाये गये हैं या नहीं ? ....
12. प्रांगण का प्रस्तावित अभिन्यास मानचित्र ए–2 या उससे अधिक आकार के पेपर में 1:500 या 1:1000 के पैमाने में निर्मित किया गया है या नहीं ?..

सचिव	उपयंत्री	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री
कृ.उ.म.समिति...........	कृ.उ.म.समिति...........	उपसंभाग क्र.	तकनीकी संभाग ....